उत्तराखण्ड सरकार की विकलांग कल्याण योजनाएं

(क) निराश्रित विकलांगों को भरण पोषण अनुदान (पेंशन) योजना –

इस योजना के अर्न्तगत निराश्रित, साधनहीन, शारीरिक रूप से अक्षम, मुक बधिर, दृष्टिहीन तथा मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों को जो बी0पी0एल0 चयनित परिवार के सदस्य हो या जिनकी मासिक आय रू0 1000/– तक है, को रू0 600/–प्रतिमाह की दर से भरण पोषण अनुदान दिये जाने का प्राविधान है, वर्ष 2008–09 से पेंशन का भुगतान डाघकर / बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा है, ऐसे विकलांग जो डाकघर / बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा है, ऐसे विकलांग जो डाकघर / बैंक खाता संचालन में असमर्थ है उन्हें मनीआर्डर द्वारा प्रदान किये जाने का प्राविधान है, इस योजना को सार्वभौमिक कर दिया गया है, जिसकी पात्रता का विवरण निम्नवत् है :

- लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से 60 के बीच होनी चाहिए।
- मुख्यचिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र ।
- ग्राम पंचायत का प्रस्ताव ।
- बी0पी0एल0 चयनित परिवार हो या जिनकी मासिक आय रू0 1000/– प्रतिमाह से अधिक न हो।
- अभ्यर्थी का पुत्र अथवा पौत्र 20 वर्ष या इससे अधिक वर्ष का है किन्तु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है तो उसे सम्बन्धित पेंशन योजना से वंचित न रखा जायें।
-

(ख) विकलांग छात्रों तथा विकलांगजनों के बच्चों को छात्रवृत्ति :

- इस योजना के अर्न्तगत विभिन्न श्रेणी के विकलांग छात्रों तथा विकलांगजनों के बच्चों को (केवल कक्षा 1 से 8 तक) छात्रवत्ति दिये जाने की व्यवस्था है। जिनके अभिभावकों की मासिक आय रू0 2000/– प्रतिमाह से कम है। विकलांग छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 तक रू0 50.00 रू0 प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 तक रू0 80.00 रू0 प्रतिमाह, कक्षा 9 से 10 तक रू0 170.00 रू0 प्रतिमाह, कक्षा 11 से 12 रू0 85.00 प्रतिमाह (जो बढ़ाया जाना है) तथा स्नातक कक्षाओं हेतु रू0 125.00 स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु रू0 170.00 प्रतिमाह और उच्च व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु रू0 170.00 प्रतिमाह की दर से अनुमन्य है।

(ग) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग / श्रवण सहायक यन्त्र क्रय करने हेतु अनुदान :

इस योजना के अर्न्तगत विकलांगजनों को तिपहिया, साईकिल, बैसाखी, जयपुरिया बूट, चश्मा तथा श्रवण सहायक यंत्र इत्यादि क्रय करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है तथा अनुदान अधिकतम सीमा रूपये 3500/– प्रति लाभार्थी है, इस योजना में मासिक आय रू0 1000/– प्रतिमाह निर्धारित है।

(घ) विकलांगजनों के पुर्नवास हेतु दुकान निर्माण योजना :

विकलांगजनों के पुर्नवासन हेतु दुकान निर्माण योजना संचालित हैं, इस योजना के अन्तर्गत विकलांगजनों को स्वरोजगार हेतु रू0 20000/– की धनराशि उपलब्ध करायी जाती है, जिसमें से रू0

15000/– 04 प्रतिशत सूक्ष्म ब्याज दर पर तथा शेष रू0 5000/– अनुदान के रूप में दिया जाता है, ऋण की वसूली एक वर्ष बाद रू0 500/– की 30 समान किश्तों में की जाती है।

(च) विकलांग दम्पतियों को शादी पर अनुदान :

इस योजना के अन्तर्गत विवाहित युगल में से युवक के विकलांग होने पर रू0 11000/– एवं केवल युवती के अथवा दोनों के विकलांग होने पर रू0 14000/– की सहायता प्रदान की जाती है, दम्पत्ति में से कोई सदस्य आयकर दाता की श्रेणी में न हो,

(छ) राजकीय विकलांग प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र :

उत्तराखण्ड राज्य में विकलांगों को विभिन्न प्रशिक्षण दिये जाने हेतु तीन विभागीय प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र क्रमशः हल्द्वानी, पिथौरागढ़ एवं चमियाला (टिहरी) में संचालित है।

(च) दक्ष विकलांग कर्मचारियों, स्वतः रोजगार में कार्यरत विकलांग व्यक्तियों एवं उनके सेवायोजकों एवं प्लेसमेन्ट अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार

दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को प्रदेश सरकार द्वारा उत्कृष्ट विकलांग कर्मचारी व उनके उत्कृष्ट सेवायोजकों एवं प्लेसमेन्ट अधिकारियों को पुरस्कृत किये जाने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति 5000/– रूपये के नकद पुरस्कार के अतिरिक्त पदक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुक्ष्य चिकित्साधिकारी / द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र / जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निर्गत परिचय पत्र के आधार पर निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है, इसके साथ ही अति विकलांग व्यक्तियों के एक सहयोगी को भी विकलांगों की तरह निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है।

(ज) विकलांगताजन आयुक्त कार्यालय की स्थापना :

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप विकलांगजन की समस्याओं के निराकरण हेतु उत्तराखण्ड राज्य में विकलांगजन आयुक्त कार्यालय की स्थापना जनपद देहरादून में की जा जा चुकी है। विकलांगजन अधिनियम 1995 का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(ण) स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान

इस योजना के अर्न्तग विकलांगजनों के कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तराखण्ड शासन के संस्तुति पर भारत सरकार द्वारा अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाता है।

प्रदेश में विकलांगजन अधिनियम 1995 के प्राविधानों के अनुसार 28 स्वैच्छिक संस्थाओं का पंजीकरण अब तक उत्तराखण्ड राज्य में निदेशालय समाज कल्याण द्वारा किय जा चुका है।

हल्द्वानी जनपद में नैनीताल में स्थित नेशनल एशोसियेशन फार द ब्लाइड नामक संस्था को दृष्टिहीन बच्चों के प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु वर्ष 2007–08 में रू0 25.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।